-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मवई बुजुर्ग में व्यक्ति की गैर इरादन हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 23.09.2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मवई बुजुर्ग के रहने वाले 1-विशाल, 2- सरवन व 3- सन्त कुमारी ने एक राय होकर गांव के ही एक व्यक्ति मुकेश को मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया , जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी रंजना की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 617/21 धारा 304/34/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 08.04.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित सिंह तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **विशाल पुत्र मोहन निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**
2. **सरवन पुत्र विशाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**
3. **सन्त कुमारी पत्नी विशाल निवासी ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**